धारा 60 : अनंतिम निर्धारण

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उनको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है, वहां वह अनंतिम आधार पर कर के संदाय के कारणों को देते हुए समुचित अधिकारी को लिखित में अनुरोध कर सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् की अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करते हुए आदेश पारित करेगा।

(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए एक बंधपत्र ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे और जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए आबद्ध करती हो, के साथ निष्पादित करता है।

3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगाः

परन्तु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किन्तु जिसका संदाय धारा 39 की उपधारा (7) या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नियत तारीख पर नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर माल या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिवस से संदाय की वास्तविक तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा, चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

((5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है वहां ऐसे प्रतिदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित ब्याज का संदाय किया जाएगा।

उपयुक्त नियमः नियम 98

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी एएसएमटी–01, जीएसटी एएसएमटी–02, जीएसटी एएसएमटी–03, जीएसटी एएसएमटी–04, जीएसटी एएसएमटी–05, जीएसटी एएसएमटी–06, जीएसटी एएसएमटी–07, जीएसटी एएसएमटी–08, जीएसटी एएसएमटी–09